न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./55/2006/चूरु

रामेश्वर पुत्र पीथाराम जाट निवासी ढाणी पांचेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरु ——अपीलांट

बनाम

1— बेगाराम
2—बालूराम
3—हुक्माराम
पुत्रान पीथाराम जाति जाट निवासीढाणी पांचेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरु ——रैस्पोडेंटस

खण्डपीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग,सदस्य

उपस्थितः—
श्री अजीत लोढा, अपीलांटस की ओर से
श्री दुनीचन्द अभिभाषक ,रैस्पोडेंटस

निर्णय **दिनांकः 27.05.2019**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20—10—2005 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी /रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से दावा बावत विभाजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सगे भाई है और सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 35 बीघा 10बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा ,13 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, 18 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 108 बीघा 7 बिस्वा रोही ग्राम ढाणी पांचेरा में बहिस्सा बराबर दर्ज है। यह कि वादी व प्रतिवादीगण काफी वर्षो से अलग अलग रहते है और अपने हिस्से के अनुसार भूमि काश्त करते है, आज तक कानूनी रुप से वास्तविक बंटवारा नही होने से वादी भूमि का बंटवारा कराना चाहता है। अन्त में निवेदन किया कि विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर पक्षकारान के मध्य वास्तविक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाता कायम किये जाकर अलग ही लगान कायम किया जावे। अधीनस्थ परीक्षण ने दावा दर्ज रजिस्टर कर दोनों पक्षों की सुनवाई कर व तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 28—11—02 के द्वारा विवादित आराजी का बाई मिट्स वबाउण्ड से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर भूमि धारी तहसीलदार को वादग्रस्त आराजी का पक्षकार के मध्य मौके पर काबिज काश्त

के अनुसार अलग अलग खाता कायम कर अलग अलग लगान तैयार रिपोर्ट प्रस्तुत प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान कर दिये, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 3 रामेश्वर की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील व उनवानी रामेश्वर बनाम बेगाराम आदि प्रस्तुत की गयी है, जिसे उनके द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–10–05 को अपील स्वीकार कर, उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–11–02 को बहाल रखा गया है, जिसके विरुद्ध अपीलांट रामेश्वर की ओर से मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि विचारण एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात दाव व जबावदावे के आधार पर नही बनाई गयी हैं। तनकी संख्या 1 व 2 के मूल अस्क को नही समझ कर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का आक्षेपित निर्णय व डिक्री में उल्लेख, विवेचन किये बिना ही मात्र कयासों के आधार पर विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा मान लिया है जिसका प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी समर्थन किया है। इसके अलावा उनका तर्क है कि अपीलांट / प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष संयुक्त रुप से पक्षकारान के द्वारा क्रय की गयी भूमि जो कि संयुक्त परिवार की ओर से क्रय की गयी थी के बाबत दस्तावेज पेश किये थे, परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य को अनदेखा कर मात्र कयासों के आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत रख कर कानूनी त्रुटि की है। उनका आगे तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के अनुरुप निर्णय पारित नही किया है। न्यायालय का विधिक दायत्व था कि वे पक्षकारों के मध्य न्याय करने हेतु समस्त विवादग्रस्त व संयुक्त परिवार के आराजीयात को वाद में शामिल करते। ऐसा इस मौजूदा प्रकरण में नही किया गया है। ऐसी स्थिति में दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया।

5– इसके विरुद्ध विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने अपीलांट की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और बताया कि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप व समवर्ती है, समवर्ती निर्णय/ डिक्री में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। अन्त में विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय /डिक्री को उचित व कानून सम्मत बताते हुए अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6– हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का गहनता से अध्ययन व अवलोकन कियाग या।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी /रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से दावा बावत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के न्यायालय में पेश विवादित आराजी बावत प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर पक्षकारान के मध्य वास्तविक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग

अलग खाता कायम किये जाकर अलग ही लगान कायम किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर दोनों पक्षों की सुनवाई कर व तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 28–11–02 के द्वारा विवादित आराजी का बाई मिट्स वबाउण्ड से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर भूमि धारी तहसीलदार को वादग्रस्त आराजी का पक्षकार के मध्य मौके पर काबिज काश्त के अनुसार अलग अलग खाता कायम कर अलग अलग लगान तैयार रिपोर्ट प्रस्तुत प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान कर दिये, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 3 रामेश्वर की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील व उनवानी रामेश्वर बनाम बेगाराम आदि प्रस्तुत की गयी है, जिसे उनके द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–10–05 को अपील स्वीकार कर, उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–11–02 को बहाल रखा गया है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 158 ,178, 222,13 व 18 की कुल 108.07 बीघा रोही ग्राम ढाणी पाचेरा तहसील सरदारशहर नकल जमाबन्दी सं.2044 प्रदर्श एक के अनुसार चारों पक्षकारान बेगा, बालू, हुक्मा , रामेश्वर पिसरान पिथा के नाम खातेदारी में दर्ज है,जिसके विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अन्य भूमि जो प्रतिवादीगण संयुक्त रुप से क्रय करना बताते है अर्थात पिता के नाम की भूमि नही थी, को शामिल करते हुए बंटवारे की मांग की गयी है। चूँकि उक्त मांग को मानने के लिए वादी पक्षकार और न्यायालय बाध्यकारी नही है, क्योकि अन्य स्थानों पर या अन्य खातों में स्थिति भूमि इस प्रकरण में विवादग्रस्त होने का बिन्दु वाद अनुतोष में अंकित नही किया गया है। बंटवारा रिकार्डेड खातेदारान जिनका नाम जमाबन्दी में अंकित होता है उस भूमि बाबत ही विभाजन किया जाता है। जब दावे में अन्य स्थान की भूमि बंटवारे की प्ली ही नही ली गयी है तो उसे इस स्तर पर उठाया जाना कानूनी सम्मत नही है। इसके अलावा प्रकरण में अपीलांट व शेष प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावे में अन्य भूमियों को सम्मलित कर हिस्सा बंटवारे के बावत कोई काउन्टर क्लेम भी परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। इसलिए अपीलांट की ओर से जो आपत्ति उठाई गयी है वह निराधार है। दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती है, समवर्ती निर्णय व डिक्री में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है।परिणामस्वरुप हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उपजिला कलक्टर सरदारशहर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–11–2002 एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–10–2005 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य

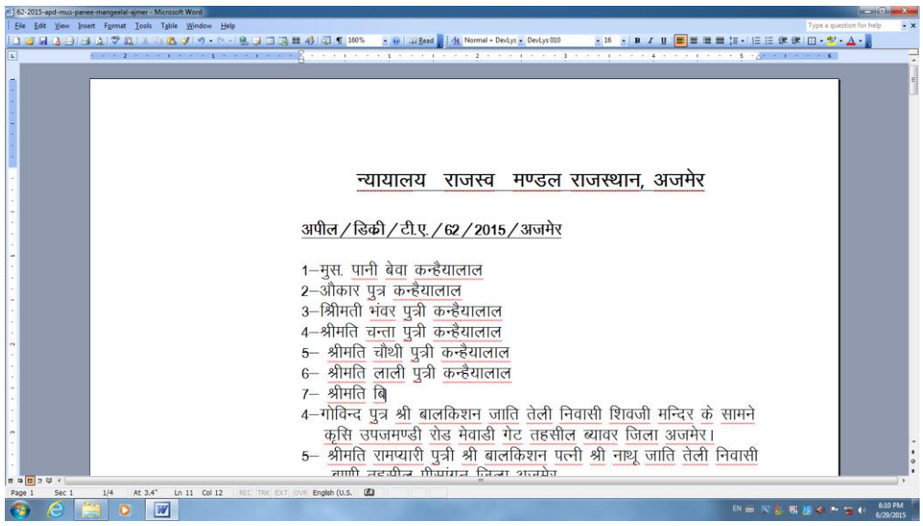

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./62/2015/अजमेर

1—मुस. पानी बेवा कन्हैयालाल
2—ओंकार पुत्र कन्हैयालाल
3—श्रीमती भंवर पुत्री कन्हैयालाल
4—श्रीमति चन्ता पुत्री कन्हैयालाल
5— श्रीमति चौथी पुत्री कन्हैयालाल
6— श्रीमति लाली पुत्री कन्हैयालाल
7— श्रीमति बि
4—गोविन्द पुत्र श्री बालकिशन जाति तेली निवासी शिवजी मन्दिर के सामने कूसि उपजमण्डी रोड मेवाडी गेट तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5— श्रीमति रामप्यारी पुत्री श्री बालकिशन पत्नी श्री नाथू जाति तेली निवासी

बनाम

श्री अशोक कुमार,सदस्य
श्री बी. एस. गर्ग, सदस्य

उपस्थितः—
(1)श्री शान्तीप्रकाश ओझा अधिवक्ता अपीलांट।
(2)श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(3)श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(4)श्री अशोक नाथ अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(5)श्री एस.के. सेठी अधिववक्ता रैस्पो. की ओर से

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24—1—10 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके व्दारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28—10—08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 3/09 उनवानी माधु आदि बनाम गोविन्द आदि को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकरी, ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21—10—08 निरस्त किया जाकर वाद वादी संख्या 77/08 को स्वीकार किया गया है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /रैस्पो. संख्या 1ता 4 ने एक दावा संख्या 33/07 अन्तर्गत धारा 53—183—188 आरटीए उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधो आदि ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 35 की 2.04.10 बीघा भूमि (अपील में विवादित आराजी कहा जावेगा) वादीगण के पूर्वज मोडालाल पुत्र सूरजमल थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी उसके पुत्र ईश्वरचन्द को प्राप्त हुयी और ईश्वरचन्द की मृत्युके

बाद विवादित आराजी उसके पुत्र छोटूलाल को प्राप्त हुई और छोटूलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्देव को प्राप्त हुई। बल्देव के दो पुत्र ख्याली व चुन्नीलाल हुए। वादीगण चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी है। ख्याली के एक पुत्र बालशिन हुआ। बालकिशन के प्रतिवादी संख्या 1से 7 उत्तराधिकारी हुए। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा । विवादित आराजी पर हमेशा से ही कजा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी के खातेदार हो चुके है। विकल्प में निवेदन किया कि बल्देव की मृत्यु के बाद भूमि ख्याली व चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित है। विकल्प के रुप में यह अनुतोश मांगा कि वादीगण 1/2 हि. जो विरासत में चुन्नीलाल को प्राप्त होनी थी ,का खातेदार काश्तकार घोसित किया जावे। विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर वीदगण के नाम का अंकन किया जावे तथा 1/2 हि. का विभाजन कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण /रैस्पो. अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21–7–07 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/रैस्पे0 संख्या 1–4व्दारा प्रस्तुत दावे में दावे के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता बालकिशन व्दारा जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की गयी है,जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। दावे के आधार दस्तावेज पेश नही होने के कारण दावा संधारण योग्य नही है, इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रार्थना पात्र का वादीगण/रैस्पोडेंटस ने जबाव पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–8–07 व्दारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 के विरुद्ध वादीगण/ रैस्पो0 1ता4 ने प्रथम अपील संख्या 199/07 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–1–08 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 खारिज कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेसित कर दिया कि वाद में तनकी कायम कर दोनो पुक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। रिमाण्ड प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्राप्त होने पर दावा संख्या 17/08 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारंभ की व अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 21–10–08 व्दारा दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3/09 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधु आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–10 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 खारिज कर दिया तथा वादी वादी स्वीकार कर वादीगण/ रैस्पो. को 1/2 हि. का खातेदार काश्तकार घोसित कर दिया। तथा परीक्षण न्यायालय को विभाजन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेसित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–10 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3— उभयपक्षीय अधिवक्तागण की अपील गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

9— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16—4—2009 में कोई त्रुटि नहीं पाते, लिहाजा, अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16—4—2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एस. गर्ग)
सदस्य

(अशोक कुमार सांवरिया)
सदस्य